



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

New Delhi: 09.01.2023

No. 2022/HQ/Admin/RTI-1545

श्रीमती सम्पती देवी
पत्नी श्री सोहन लाल मेघवंशी
12/52 रामदेव विहार कॉलोनी,
टेक्सवे कॉलेज के पास
गुलाबबाड़ी, अजमेर-305007
मोबाइल-9928584426

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन 12.12.2022, जो इस कार्यालय में दिनांक 14.12.2022 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

श्री गौरव शर्मा
महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
चतुर्थ मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 07 पृष्ठ

(एस. के. पण्डा)

संयुक्त महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)
9717636811



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. AII/HR/RTI/2022/


Date: 07-01-2023

Sh. S.K. Panda
JGM/admin/CPIO
DFCCIL
New Delhi-110001

Sub: -Information under RTI Act, 2005.

Ref:- Co Letter No. 2021/HQ/ADMIN/RTI-1545 dated 28.12.2022.

Required information through RTI application Ms. Sampati Devi has submitted dated 28.12.2022, asking requisite information under RTI Act, 2005 received vide letter referred to above, is furnished as enclosed (10 pages)


(Brij Raj)
GM/EL
DFCCIL, Ajmer

दिनांक: 20.12.2022

कमांक : अज./भू.अवा./इंजी./22/XIV

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी,
अजमेर।

विषय :- मकान भूखण्ड एवं भूखण्ड पर बनी पक्की बाउण्ड्री वॉल का सम्पूर्ण मुआवजा राशि दिलवाने बाबत।

- संदर्भ : (i) इस कार्यालय के पत्रांक अज./भू.अवा./इंजी./22/XIII दिनांक 10.03.2021
(ii) आपके कार्यालय पत्रांक उ.ख.अ./भू.अवा./2022/198 दिनांक 14.01.2022
(iii) आपके कार्यालय पत्रांक उ.ख.अ./भू.अवा./2022/963 दिनांक 21.03.2022
(iv) आपके कार्यालय पत्रांक उ.ख.अ./भू.अवा./1263 दिनांक 20.04.2022

उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि, जमाबंदी के अनुसार ग्राम किरानीपुरा के खसरा संख्या 233 की कुल भूमि 3300 वर्ग मीटर है। एवं अवाप्त भूमि का क्षेत्रफल 1486 वर्ग मीटर है। अवाई के अनुसार केवल हितबद्धधारियों को ले-आउट प्लान प्राप्त कर मुआवजा भुगतान किया जा सकता है।
भगवती पत्नि गंगा सहाय वर्मा व मोके पर कब्जादार भंवरी पत्नि टिकम चन्द, सीता पत्नि मंगला, रमजानी खान पत्नि अब्दुला खान, ओमप्रकाश पुत्र जगदीश सैनी, सौरभ कुमार पुत्र सुधीर कुमार जैन।

चूंकि उपरोक्त हितबद्धधारियों का अवाई के अनुसार मुआवजा राशि व्यक्तिशः न होकर शामिल में होने के कारण रकबा व हिस्से का सत्यापन ले-आउट प्लान प्राप्त होने पर ही मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सकता है।

अतः आपके अवलोकनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



प्रमाणित प्र. 2
20/12

Sr. Executive/Civil
वरिष्ठ कार्यकारी/सिविल
DFCCIL, Keshavnagar
डी.एफ.सी.सी.आई.एल. केशवपुरा

उप परियोजना प्रबंधक/इंजी.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
अजमेर।

8

81



कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर (राज.)

क्रमांक :- उखअ/भू.अवाप्ति/2017/किरानीपुरा/6626
अभिनिर्णय

दिनांक : 27.10.2017

1	ग्राम का नाम	किरानीपुरा ✓
2	तहसील	अजमेर
3	जिला	अजमेर (राज.)
4	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	6.2436 हैक्टेयर
5	भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन	विशेष रेल परियोजना पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन व प्रचालन हेतु
6	अर्जनकारी संस्था का नाम	रेल मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रबन्ध निदेशक डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कोरपोरेशन, पांचवीं मंजिल, मेट्रो स्टेशन परिसर, प्रगति मैदान नई दिल्ली
7	भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत धारा - 20ए की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक	भारत का राजपत्र असाधारण भाग - II खण्ड-3 उप खण्ड (II) संख्या 1408 दिनांक 07.06.2016 में प्रकाशित रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2007(अ) दिनांक 06.06.2016
8	भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत धारा - 20ए की उपधारा 4 के प्रावधान अनुसार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि	दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति दिनांक 22.06.2016
9	उक्त अधिनियम की धारा -20इ की उपधारा -1 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक	भारत का राजपत्र असाधारण भाग - II खण्ड -3 उप खण्ड (II) संख्या 143 दिनांक 17.01.2017 में प्रकाशित रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 154(अ) दिनांक 12.01.2017
10	उक्त अधिनियम की धारा -20एफ की उपधारा -4 के अन्तर्गत स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि	राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर दिनांक 26.01.2017
11	अभिनिर्णय की तिथि	27.10.2017

कार्यालय सहाय प्रबन्धकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर (राज.)

क्रमांक :- अखण्ड/भूमि/अजमेर/2011/किसानीपुरा/619

दिनांक 15.7.2011

अभिनिर्णय

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | ग्राम का नाम | किसानीपुरा |
| 2 | तहसील | अजमेर |
| 3 | जिला | अजमेर (राज.) |
| 4 | अभिनिर्णय हेतु प्रस्तुतित उपखण्ड | 326727 हैक्टियर |
| 5 | भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य | विशेष रेल परिवहनार्थ परिष्कृत डीडीकेटड फुट काउन्टोवर के निष्कासन, अनुसंधान, प्रदर्शन व प्रचारण हेतु |
| 6 | अर्जनकारी संख्या का नाम | रेल मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाश निदेशक डीडीकेटड फुट काउन्टोवर कार्यालय काठियावाड़ प्रांतीय मन्त्रालय में रेलवे परिवार, प्रगति नगर नई दिल्ली |
| 7 | भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत धारा - 20ए की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक | भारत का राजपत्र असाधारण भाग - 11 खण्ड-3 उप खण्ड (11) संख्या 1259 दिनांक 11.08.2009 में प्रकाशित रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या अज.अ. 2094(अ) दिनांक 10.08.2009 |
| 8 | भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत धारा - 20ए की उपधारा 3 के अधिनियम अन्तर्गत स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि | दैनिक भास्कर दैनिक नवज्योति व राजस्थान पत्रिका दिनांक 07.09.2009 |
| 9 | उक्त अधिनियम की धारा - 20B की उपधारा -1 के अन्तर्गत अधिसूचना के उद्देश्य का दिनांक | भारत का राजपत्र असाधारण भाग - 11 खण्ड -3 उप खण्ड (11) संख्या 1212 दिनांक 15.06.2010 में प्रकाशित रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या अज.अ. 1436(अ) दिनांक 01.06.2010 |
| 10 | उक्त अधिनियम की धारा - 20एक की उपधारा -4 के अन्तर्गत स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि | दैनिक भास्कर दैनिक नवज्योति व राजस्थान पत्रिका दिनांक 19.07.2010 |
| 11 | अभिनिर्णय की तिथि | 15.7.2011 |
| 12 | अभिनिर्णय की वस्तुस्थिति | भूमि के प्रतिफल की वस्तुस्थिति |
| | | रु 13,64,88,997 |
| | मकानों एवं अन्य संरचनाओं के प्रतिफल की वस्तुस्थिति | रु 5,13,17,807 |
| | फसलों एवं वृक्षों के प्रतिफल की वस्तुस्थिति | रु 6,12,690 |
| | योग | रु 18,83,19,494 |
| | पुनर्वेश एवं नि:स्वाम्यता नीति के अन्तर्गत स्वाम्यता वाले महा योग | रु 1,37,78,360 |
| | | रु 20,20,97,854 |

(Signature)
उप खण्ड अधिकारी एवं
भूमि अधिग्रहण अधिकारी
अजमेर

पृष्ठ 1 / 6

(Signature)
Sr. Executive/Civil
वरिष्ठ कार्यकारी/सिविल
DFCCIL, Kishanganj
नेमक सी.सी.आई.एल. कलकत्ता

क्र. सं. वर्ग 1 आ श्रेणी (वर्ग)	आविष्कृत रकम (₹)				कुल आविष्कृत रकम (₹) (A+B+C+D)	अधिकृत अधिकारी का नाम	अधिकृत की आवधि	अंशक अनुपात आविष्कृत रकम (₹)	संपूर्ण कुल रकम 2008 के प्राथमिकी के अंतर्गत अंशक रकम (₹)	अधिकृत अधिकारी का व्यक्तिगत आविष्कृत रकम (₹) (2008)	टिप्पणी
	अंशक 1 की रकम भूमि शुल्क	अंशक 2 अथवा अंशक 3 की रकम परिष्कारण शुल्क	अंशक 4 अथवा 5 अथवा 6 अथवा 7 अथवा 8 अथवा 9 अथवा 10 अथवा 11 अथवा 12 अथवा 13 अथवा 14 अथवा 15 अथवा 16 अथवा 17 अथवा 18 अथवा 19 अथवा 20	अंशक 20 अथवा 21 अथवा 22 अथवा 23 अथवा 24 अथवा 25 अथवा 26 अथवा 27 अथवा 28 अथवा 29 अथवा 30							
						अंशक 1 की रकम	1/14	8335	20000	28335	
						अंशक 2 की रकम	1/14	8335	20000	28335	
						अंशक 3 की रकम	1/14	8335	20000	28335	
						अंशक 4 की रकम	1/14	8335	20000	28335	
						अंशक 5 की रकम	1/14	8335	20000	28335	
						अंशक 6 की रकम	1/14	8335	20000	28335	
169	76664	544853			621517	शंभुजी दत्त वसिष्ठ आम्बिकादास	1	621517	34000	655517	अंशक 1 की रकम अंशक - 15
475	193123	0			193123	अज्ञात	1	193123	0	193123	
701	733001	64237	0		797238	शंभुजी दत्त वसिष्ठ आम्बिकादास	1	797238	20000	817238	
017	10112	30316			50428	अज्ञात / अज्ञात	1/2	25214	20000	45214	अंशक 1 की रकम अंशक - 15
						अज्ञात / अज्ञात	1/2	25214	20000	45214	अंशक 1 की रकम अंशक - 15
009	18300	265995			284295	शंभुजी दत्त वसिष्ठ आम्बिकादास	1	284295	20000	304295	अंशक 1 की रकम अंशक - 15
091	51532	529971			581503	शंभुजी दत्त वसिष्ठ आम्बिकादास	1	581503	20000	601503	अंशक 1 की रकम अंशक - 15
024	13533	68420			81953	शंभुजी दत्त वसिष्ठ आम्बिकादास	1	81953	20000	101953	अंशक 1 की रकम अंशक - 15

प्रमाणित आदि
 श्री. Executive/Civil
 वरिष्ठ कार्यकारी/सिविल
 DFCCIL, Kachhauji, 30/08/2018
 उप सचिव अधिकारी एवं
 भूमि अंशक अधिकारी
 अजमेर